अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लड़ाकू विरासत को आगे बढ़ाओ! महिलाओं पर जारी ब्राह्मणीय हिन्दू फासीवादी हमलों के खिलाफ एकजुट हो संघर्ष तेज करो!

बुलंद आवाज से ऐलान करो, 'डोर, गंवार, नारी ताड़न के नहीं शासन के अधिकारी'

क्राांतिकारी आदिवासी महिला संगठन का आह्वान!

8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का एक लड़ाकू इतिहास है. महिलाओं की मुक्ति संघर्ष दिवस के रूप में इसे माना जाता है. शोषण व उत्पीड़ से मुक्ति के लिए संघर्ष पर उतरने के लिए श्रमिक महिलाओं का संकल्प दिवस है 8 मार्च. पूंजीवाद की शुरुआती दौर में घर की चहरदीवारी से बाहर आकर कारखानों की मजदूर बनी श्रमिक महिलाओं का अपने हकों की मांग पर हड़ताल करना शुरू हुआ. महिला कामगारों का सम्मेलन पहली बार 28 फरवरी 1909 में हुआ था. 1910 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नेत्री कॉमरेड क्लारा जेटकिन की नेतृत्व में आयोजित समाजवादी महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें 17 देशों की 100 प्रतिनिधियां उपस्थित थी, कोपनहेगन में संपन्न हुआ था. इसी सम्मेलन में मार्च 8 को अंतर्राष्टीय दिवस का दर्जा दिया गया. बाद में 1917 की अक्तूबर क्रांति के दौरान रोटी और कपडा की मांग की पर चली ऐतिहासिक आंदोलन में अलेक्जान्द्रा कोल्लंताय के नेतृत्व में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही. रूस में जारशाही उखाड़ फेंकी गई और दुनिया में पहली बार बनी समाजवादी सरकार ने महिलाओं को मतदान के साथ–साथ तमाम क्षेत्रों में समान अधिकार की घोषणा की.

भारत देश में आर्यों के आगमन काल ई.पू. 1500 से लेकर आज के दिन यानी 8 मार्च 2018 तक पितृसत्ता अपने रूपों व नीतियों को बदलते हुए आज ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद केन्द्र एवं राज्यों में सत्ता की बागडोर संभाली हुई है. मानव विकास के शुरुआती दौर में गोपालक घुमंतू समूहों में पितृसत्ताई समाज और भारत के मूलवासी कृषि प्रधान समूहों में मातृपधान समाज अस्तित्व में रहे. ई.पू. 1500 में आर्यों के सिंध नागरिकता पर हमलों के बाद से भारत देश में आर्यों का प्रवास शुरु हुआ था. उत्पादन शक्तियों के विकास के साथ–साथ स्थापित पितृसत्ताई व्यवहार और विचारों को ई.पू. 600 में मनु ने मनु स्मृति में स्थापित किया था. वर्ग समाज के प्रादुर्भाव के साथ–साथ नारी अपने सत्ताधारी भूमिका से दोयम दर्जे में धकेल दी गई थी. धीरे–धीरे वह सामाजिक श्रम से दूर कर दी गई थी. इसी सिलसिले में संपत्ति के साथ–साथ संतान पर से अधिकार से वंचित की गई थी. आज मनु के वारिस मौके–मौके पर अपना नारी विरोधी चरित्र को प्रकट करते रहते हैं. आज के दो दशक पूर्व 'परकटियों को संसद में जगह नहीं देना चाहिए.' कहते हुए संसदीय प्रणाली से उसे वंचित रखने की पितृसत्ताई सोच ने बाल कटवाई महिला सांसदों की खुली अवहेलना की थी. आज भी वर्तमान संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण वाला बिल सत्ताधारी वर्गों के रस्साकस्सी खेल में खींचातानी का शिकार है.

प्रजनन प्रक्रिया दैवी संयोग मानने वाली आदिम समुदायों ने उसे रहस्यमय शक्ति माना और नारी को देवता के रूप में पूजा, 'यत्र नार्यंतु पूज्यंते तत्र देवता रम्यंता:' जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवताएं खुश रहती हैं. बाद के काल में नारी को मात्र जमीन बताया गया. जमीन से अपने आप फसल नहीं उगता है, जब पुरुष बीज बोएगा तभी फसल उगता है, बीज जो बोएगा, फसल भी उसी का होगा – इस मनुवादी अवधारणा ने नारी के पुनरुत्पादन शक्ति पर पुरुष सत्ता को स्थापित किया और नारी अपनी संतान पर के अधिकार से वंचित की गई थी. मार्क्सवाद के महान अध्यापक कॉमरेड एंगेल्स ने इसे नारी का ऐतिहासिक पराजय कहा.

वेदकाल से ही महिलाओं को वेद के पाठ पर पाबंदी लगाकर उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया था. सिर फट जाने की धमकी देते हुए गार्गी, मैत्रेयी जैसी विद्वत्त महिलाओं की मुंह बंद कर दी गई थी. इस रूढ़ी को तोड़ते हुए भारत देश में पहली बार महिलाओं को शिक्षित करने का श्रेय ज्योति बा फूले और सावित्री बाई फूले को जाता है. ब्राह्मणवादियों के कई अपमानों को झेलकर उन्होंने यह कार्य किया.

गुरु मनु चेला मोदी

मनुस्मृति ने दलित–आदिवासी–महिलाओं पर जुल्म और अत्याचार की खुली छूट देते हुए कहा कहा था कि, 'डोर–गंवार–नारी ताड़न के अधिकारी' वेद काल से लेकर आज तक वेदों की भूमि में मेहनतकश तबकों पर ब्राह्मणीय जातिवादी

ताड़न–प्रताड़न–उत्पीड़न जारी है. मनु के औलादों – मोहन भागवत–नरेंद्र मोदी–अमित शा की तिकड़ी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारत का संपूर्ण कायापलट करके भारतीय समाज का भगवाकरण और मनुस्मृति को भारत संविधान तथा भारत को हिन्दू राज घोषणा करने के लिए लालायित हैं. समय की मांग है कि इसके खिलाफ एकजुट हो संघर्ष करें.

मनु ने समाज में नारी का स्थान को अपने सूत्रों के द्वारा इस प्रकार प्रस्थापित किया. 'कार्येशु दासी, करणेशु मंत्री, भोज्येशु माता, शयनेशु रंभा' यानी नारी एक सेविका यानी दासी बनकर अपने पति व उसके परिवार जनों की सेवा करनी चाहिए. अपने पति के कामों में मंत्री जैसा सहयोग करना चाहिए. मां के समान उसे खिलाना चाहिए और सोते समय अपनी खूबसूरती से पुरुष को खुश करना है. पिता रक्षितः कौमारे, पति रक्षितः यौवने, पुत्र रक्षिता वृद्धे' नारी जन्म से स्वतंत्र नहीं रह सकती है. पुरुष की छत्रछाया में ही उसे जीवनयापन करना है. बचपन में पिता के संरक्षण, यौवन में पति के संरक्षण और वृद्धावस्था में बेटे के संरक्षण में उसे जीवनयापन करना है. इसके विपरीत उसे स्वतंत्र जीने का अधिकार नहीं है.

विवाह संस्कार के दौरान बांधी जानेवाली हल्दी डोरी को दामड की संज्ञा देते हुए अपनी बीवी को खूंटी से बांधकर रखने का मनु से उपदेश प्राप्त उनके चेले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के महासचिव सुरेश भैया जी जोशी जी द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेविका संघ के प्रशिक्षण शिविर में सेविकाओं को मातृत्व की शिक्षा इस प्रकार दी जा रही है – ''गाय जब घास खाती है तो अपने बच्चों के लिए बांधकर नहीं लाती, मगर एक महिला कुछ भी खाती है तो अपने परिवार के लिए बांध कर लाती है. इस अंतर को पहचानो. यही एक महिला की शक्ति है'' लानत है ऐसी मातृत्व पर!?

2018 के पहली मन की बात में नरेंद्र मोदी ने फरमाया था कि, 'एक बेटी दस पुत्रों के बराबर' जमीनी हकीकत यह है कि महिला शिशुओं की भ्रूण हत्याओं के चलते वैश्विक आर्थिक मंच ने 114 देशों के ग्लोबल जंडर गैप पर सर्वेक्षण किया तो उस सूची में भारत 108 वे स्थान पर है. कन्याओं के जन्म पर जश्न मनाने वाले मोदी जी के शासन काल में दिल्ली के इंडियन इंस्टिस्ट्यूट ऑफ टेक्नालजी व दिल्ली विश्व विद्यालय जैसी उच्च शिक्षण संस्थाओं की छात्राओं के पहनावे पर जारी परिधान संहिता के खिलाफ 'पिंजड़ा तोड़' आंदोलन छेड़ना पड़ा.

भारतीय समाज पर हिन्दुत्व हावी है. वह कुण्डली मारकर बैठा है. जब तक शोषण रहेगा तब तक धर्म भी जारी रहेगा. धर्म, मनुष्य के विश्वासों पर निर्भर रहता है. लुटेरे वर्ग उसे औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. धर्म के नशे से बाहर लाने के लिए पहले उन्हें शोषण के खिलाफ जारी संघर्षों में संगठित करना होगा. महिलाओं पर भी यही अमल होता है. महिलाएं प्रधान रूप से शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में सहभागी होते हुए पितृसत्ता विरोधी चेतना बढ़ाना होगा. पितृसत्ता के खिलाफ संघर्ष करना होगा.

दुनिया के विगत में हुई रूसी, चीनी क्रांति संघर्षों के दौरान अपनी महत्वपूर्ण योगदान दी थी. विगत में हुई क्रांतियों से भिन्न आज भारत में जारी नवजनवादी क्रांति में जन योद्धाओं की भूमिका अदा कर रही हैं. 1960 के बाद बनी मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टियों की अगुवाई में जारी जन युद्ध में वह अभिन्न हिस्सा बनकर सैनिक मोर्चे को संभाल रही है और शत्रु बलों से डटकर लोहा ले रही हैं. हालांकि ब्राह्मणवाद को महिलाएं सशस्त्र होना मंजूर नहीं है. लेकिन इस देश में सामंती व्यवस्था, बड़ा बुर्जुआ व पितृसत्ता एवं उनका मुख्य सूत्रधार ब्राह्मणत्व को खतम करने कमर कसने वाली महिलाओं का दमन करने प्रतिक्रियावादी सेनाओं में महिलाओं को भर्ती करके दंडकारण्य के सुदूरवर्ती वन आंचलों की ओर रवाना कर रहा है. आज दंडकारण्य महिलाओं का मुख्य कर्तव्य फासीवादी हमलों का डटकर मुकाबला करना होता है.

आदिवासी आंचलों में आदिवासी समुदायों के अस्तित्व व अस्मिता के लिए मुंह बांये खड़ा विकराल विस्थापन के खिलाफ मुट्ठी बांधकर खड़े हो जाने का नौबत आया है. जल–जंगल–जमीन–इज्जत–अधिकार के साथ–साथ स्त्री–पुरुष समानता, संपत्ति पर, संतान पर समान अधिकार के लिए लड़ने का समय आ गया है. इस देश में वर्णव्यवस्था के चंगुल में व कबीलाई पितृसत्ता की चंगुल में फंसकर चटपटाने वाली महिलाओं के साथ–साथ तमाम ब्राह्मणीय हिन्दुत्व जातिवादी व्यवस्था में दबी कुचली तमाम महिलाओं को जागृत होकर संघर्ष करने का आहवान दंडकारण्य क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन देता है.

आओ साथियों! बहनों! नारी मुक्ति का परचम ऊंचा उठाकर जनयुद्ध में कदमताल के साथ आगे बढ़ेगे!

- **8 से 14 मार्च 2018 तक गांव–गांव में मशाल जुलूसों का आयोजन करें!**
- **नारी उत्पीड़न के मूल पुरुष मनु और उसके औलाद मोदी–मोहन भागवत–रमन सिंह–फडणवीस के पुतलों को गांव–गांव में जलाएं!**
- **गांव–गांव में ब्राह्मणवादी जातीय उत्पीड़न के खिलाफ बहस व संगोष्ठियां चलाएं!**
- **बुलंद आवाज से ऐलान करें कि जल–जंगल–जमीन पर अधिकार हमारा है उसमें आधा हिस्सा हम हैं.**

क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन दंडकारण्य